न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2026 G.C.M.S. No. 2026/150 दर्ज दिनांक : 13.02.2026

अपीलार्थिगण:

1. हनीफ पुत्र फतीया
2. नसीबो पत्नी फतीया, जातियान–मुसलमान, निवासी कोरीध्वेचा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. फातीबानु पत्नी इशाक
2. रेशमाबानू पत्नी निभाभ
3. लुणी पत्नी नसीब
4. नजीर खां पुत्र सदीख खां, जाति मुसलमान, निवासी कोरीध्वेचा, तहसील बागोड़ा व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2024 बअनवान फातीबानू बनाम नजीरखां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री श्याम सिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्याम सिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 24.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2024 बअनवान फातीबानू बनाम नजीरखां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

वादग्रस्त आराजी तहसील बागोड़ा पटवार हल्का जैसावास के मौजा राजस्व ग्राम कोरीध्वेचा में खसरा संख्या 394 रकबा 03.6700 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त आराजी आराजी अपीलांट की पैतृक है और अपीलांट हनीफ का 1/4 हिस्सा व नसीबो का 1/4 हिस्सा है, उक्त आराजी में पक्षकारान का जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार अपना हिस्सा है। हिस्से को लेकर पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है। हिस्से अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस बाबत एक वाद उतरदातागण वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

ने धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट के विरूद्ध पेश किया। जिसमें अपीलांट को न्यायालय से भेजे गए सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, और जो समन भेजे गये थे, वह खाली थे। जिसमें तारीख व वाद संख्या जारी करने की तारीख आदि नहीं लिखी हुई है जिसकी प्रतिलिपि लेने जानकारी हुई है। जिस पर मात्र वादी की सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की ओर व उनके हितो की ओर ध्यान देकर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी। पक्षकारान की अनुपस्थिति में दिनांक 23.05.2025 को प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय द्वारा जारी की गई और बाद में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान भी अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया और अपने मनमर्जी से अवैध गलत व विधि विरूद्ध और पक्षकारान की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 को तैयार की गई। तहसीलदार बागोड़ा के द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया और न ही मौका निरीक्षण की सूचना किसी पक्षकार को मौके पर दी गयी। पक्षकारान के सूचना की तामिल पत्र पर भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। इस प्रकार से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पैतृक है और अपीलांटगण अपने अपने खसरे में अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त में है उसी के अनुरूप बंटवाड नहीं कर मात्र वादीगण के कहे अनुसार और उनके ही कब्जे के विपरीत नक्शा बनाकर गलत रूप स विवादित आराजी में गलत जगह पर रकबा देकर और मौका व कब्जा के विपरीत जो गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है उसी गलत विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप निर्णय व डिक्री है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2025 व संसोधित निर्णय दिनांक 19.11.2025 द्वारा स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील 60 दिवस के स्थान पर 86 दिवस के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।

2. चूंकि प्रकरण में लगभग 26 वर्ष का विलंब निहित है तथा प्रकरण का कठोर तकनीकी आधार पर निर्णयन के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं होने से विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर कब्जा काश्त एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन की मांग की गयी तथा इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर उपस्थिति हेतु संबधित पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित नहीं किया गया है एवं न ही मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति के बारे में कोई जांच एवं टिप्पणी की गयी तथा न हीं मौके पर विभाजन के लिए प्रस्तावित भू खण्डो का नक्शा तैयार कर पक्षकार की उपस्थिति में सीमांकन आदि किया गया, जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम– 1955 के नियम 20 व 21 की पूर्ण पालना नहीं की गयी। विभाजन प्रस्ताव के लिए तहसीलदार द्वारा नियम– 20 की पालना में न तो प्रत्येक सहआसामी के लिए पृथक से विभाजन प्रस्तावित किया गया एवं न ही सहआसामियों के कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। इसी प्रकार नियम–21 की पालना में न तो विभाजन के लिए प्रस्तावित एवं उपविभाजित खेतो के लिए मौके पर सीमांकन किया गया एवं न ही नक्शे तैयार किये गये। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालना न करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो दुषित होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2024 बअनवान फातीबानू बनाम नजीरखां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 19.11.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर, बागौड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली